**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 760/2026**
**राज्य विरूद्ध-देशी राम पोटाई**

Witness N0…...**01**……For…**अभियोजन साक्षी** …Deposition take…........
The … of **23.06.2026** ….Witness's apparent age.. **48 वर्ष…** ….........
State on affirmenmation…**शपथ पुर्वक**…my name is **....रायघर पोटाई...**
Son of ..श्री सोमा पोटाई.................Occupation......**कृषि**...........
Address **ग्राम–मसपुर, थाना –ताड़ोकी, जिला– कांकेर छ०ग०**.......

---

**Time 11:35PM**

**मुख्य परीक्षण द्वारा डी.पी.ओ. श्री पी.सी.शुक्ल, वास्ते अभियोजन**

01– मैं आरोपी देशी राम पोटाई को जानता हूॅ ,वह मेरा साढू है। मृतिका कोले बाई पोटाई मेरी पत्नी है। दिसम्बर 2025 में मेरी पत्नी कोले बाई पोटाई मेरे घर मसपुर थाना ताड़ोकी से ग्राम कंदाड़ी , नारायणपुर में मृत्यु कार्यक्रम गयी थी। दो दिन बाद सुबह मेरी पत्नी कोले बाई मेरे साढू देशी राम पोटाई के मोटर सायकल में बैठकर मेरे घर ग्राम मसपुर ,थाना ताड़ोकी आ रही थी,किन्तु रामकृष्ण मिशन आश्रम के पास मेरे साढू के मोटर सायकल का एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरी पत्नी कोले बाई मोटर सायकल से गिर गई थी जिससे सिर में चोट लगा था। मेरी पत्नी का ईलाज जिला अस्पताल नारायणपुर तथा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में हुआ था। ईलाज के दौरान मेरी पत्नी की मृत्यु मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में हो गया था।

02– घटना के समय मै अपने घर में था ,उक्त घटना कैसे घटित हुई थी मुझे जानकारी नहीं है। मेरी पत्नी की मृत्यु की सूचना जगदलपुर मर्ग इंटिमेशन **प्र०पी०** 01 है ,थाना में दिया था। मेरी पत्नी का शव पंचनामा **प्र०पी०** 02 है एवं शव पंचनामा में उपस्थित होने के लिए नोटिस दिये थे ,नोटिस **प्र०पी०** 03 है। पुलिस वाले जांच में आये थे ,मेरे बताये अनुसार घटना स्थल का मौका नक्शा **प्र०पी०** 04 तैयार किये थे। पुलिस वाले पूछताछ कर मेरा बयान लिए थे।

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 760/2026**
**राज्य विरूद्ध-देशी राम पोटाई**

**नोट-साक्षी द्वारा अभियोजन प्रकरण के संबंध में समर्थन नहीं करने के कारण डी.पी.ओ. द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले एवं सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी। अभिलेख के अवलोकन पश्चात अनुमति दी गई।**

03– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी पत्नी के मृत्यु मोटर सायकल क्रं०सी०जी० 21 एफ० 2590 से गिरने के कारण हुई थी। यह कहना गलत है कि मोटर सायकल क्रं० सी०जी० 21 एफ० 2590 मेरे साढू आरोपी देशी राम पोटाई की है, जिसने घटना दिनांक को मेरी पत्नी को मोटर सायकल में बैठाकर तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट किया था। यह कहना गलत है कि उक्त घटना आरोपी देशी राम पोटाई के लापरवाही के कारण हुआ था। यह कहना गलत है कि आरोपी मेरा साढू है इसलिए आज उसे बचाने के लिए सही बात को नहीं बता रहा हूँ।

**प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जितेन्द्र शुक्कला अधिवक्ता वास्ते आरोपी–**

04– कुछ नहीं।

**Time 12:00pm**

साक्षी को कथन पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

गवाह के हस्ताक्षर–

BARKHA RANI VERMA
Digitally signed by BARKHA RANI VERMA
Date: 2026.06.23 15:57:10 +0530

BARKHA RANI VERMA
Digitally signed by BARKHA RANI VERMA
Date: 2026.06.23 15:57:14 +0530